

प्रारूप, 12—क
(नियम 19 और 2 देखिये)
निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के लिये आवेदन

प्रेषिती,
रिटर्निंग आफिसर

विधानसभा
.....निर्वाचन क्षेत्र
संसदीय

महोदय,
विधानसभा
मैं.....निर्वाचन क्षेत्र से
के लिये होने वाले निर्वाचन में अपना मत स्वयं देना चाहता हूँ।
लोकसभा

मुझे निर्वाचन क्षेत्र में(मतदान केन्द्र की संख्या और नाम) में निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है किन्तु मेरा नामसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट नामावली के भाग सं0.....में कम सं0.....पर प्रविष्ट है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रारूप 12—ख में एक निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र उस मतदान केन्द्र से जहाँ मतदान के दिन मैं कर्तव्यरूढ रहूँगा, मत देने के लिये दिया जाये। यह प्रमाण पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये।

.....
.....
.....
स्थान.....
दिनांक.....
भवदीय

→ जिस संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में नाम दर्ज है उसी संसदीय क्षेत्र (लोकसभा) में ही निर्वाचन ड्यूटी होने पर मतदान हेतु उपरोक्त फार्मेट (प्रारूप 12 क) पर मतदाता द्वारा आवेदन किया जायेगा। जिससे इस आवेदन के आधार पर उसी बूथ पर जहाँ कार्मिक की ड्यूटी लगी है पर मतदान हेतु निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रारूप (12 ख) जारी किया जा सकें।
आवश्यक अभिलेख:- 1. निर्वाचन ड्यूटी का पत्र जहाँ ड्यूटी लगी हो।
2. मतदाता पहचान पत्र।
3. पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रारूप (12 क)